ग्राम पंचायत भन्जाल अप्पर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016
भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत अप्पर भन्जाल, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

1	श्री भूपिंदर सिंह	1-4-2013 से 22-1-2016
2	श्री कर्म चंद	23-1-2016 से अद्यतन

सचिव :-

1	श्री अरविन्द कुमार	1-4-2013 से 31-3-2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत भन्जाल अप्पर के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि
1	8	अनुदान उपयोग न करना	2.94
2	9	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	3.87
3	10	निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना	
4	13	स्टोर (सामान) 50,000 से अधिक बिना समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए बिना खरीदना	
5	14	तकनीकी स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य C/O MULTIPURPOSE INDOOR STADIUM	21.36

		पर व्यय करना	
6	15	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना	6.25
7	16	मूल्यांकन Assessment के बिना भुगतान करना	18.88

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत भन्जाल अप्पर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28/2/2017 से 3/3/2017 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	12/2013	9/2013
2014-15	9/2014	6/2014
2015-16	8/2015	5/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत भन्जाल अप्पर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिoप्रo) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 49/2017 दिनांक 3-3-2017 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

सचिव ग्राम पंचायत भन्जाल अप्पर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्वः स्त्रोत:-**ग्राम पंचायत भन्जाल अप्पर के अवधि 01.04.13 से

31.03.16 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	35237	22212	57449	51502	5947
2014-15	5947	57223	63170	55025	8145
2015-16	8145	36467	44612	16215	28397

(2) अनुदानः- ग्राम पंचायत भन्जाल अप्पर के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	188599	3572073	3760672	2853099	907573
2014-15	907573	3262019	4169592	3942166	227426
2015-16	227426	2006946	2234372	1940530	293842

5 **बैंक समाधान विवरणी :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत भंजाल अप्पर के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों मे अंतर शून्य था जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

1 रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष **₹28397**

2 रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष **₹293842**

योग `₹322239

अन्तशेष का विवरणः- दिनांक 31-03-2016 को बैंक खातों का अंत शेष निम्नानुसार था।

क्र. संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	के.सी.सी.बी. मुबारिकपुर	20128003043	320539
2	के.सी.सी.बी. मुबारिकपुर	20128003123	1700
3	के.सी.सी.बी. मुबारिकपुर	20128003269	00
		Total	322239
		Cash in hand	
		GENERAL CASH BOOK	0
		NBA	0
		MNREGA	0

	IAY	0
	TOTAL	322239

अंतर 322239 - 322239 = शून्य

6 **निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था । अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

7 **पंचायत राजस्व की ₹0.26 लाख की वसूली करना:-**

पंचायत सचिव भन्जाल अप्पर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹25815 वसूली हेतु शेष थी।

1 गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	0-00	11960-00	11960-00	400	11560
2014-15	11560-00	11960-00	23520-00	3185	20335
2015-16	20335.00	11960-00	32295.00	6480	25815

(2) .हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियामानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 **अनुदान ₹2.94 लाख का उपयोग न करना ;-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹293842 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से

ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

9 प्राप्त अनुदानों से ₹3.87 लाख का अधिक व्यय

सचिव ग्राम पंचायत भन्जाल अप्पर द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिति के अनुसार SDP, ZP में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार ₹386665 ऋणात्मक दर्शाई गयी है। जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन SDP, ZP में अथवा किसी अन्य योजना से SDP, ZP का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अवगत करवाएं।

1 SDP	359083
2 ZP	27582
योग	**386665**

10 नगद शेष निर्धारित दर से अधिक दर पर रखना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा मात्र एक हजार तक हस्तगत राशि रखी जा सकती है। ग्रांम पंचायत द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई तथा निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि रखी गयी जिसका विवरण इस प्रकार है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व भविष्य में अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

दिनाकं	**शेष हस्तगत राशि**
20-4-2013 से 27-6-2013	3625
28-6-2013 से 20-8-2013	3708

11 औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना ₹6.25 लाख का क्रय

ग्राम पंचायत अप्पर भन्जाल द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान `₹625160 की निर्माण सामग्री यथा **(परिशिष्ट-2)** के अनुसार स्टील, रेत, बजरी, पत्थर, बजरा इत्यादि का क्रय बिना निविदाओं के किया गया है **(परिशिष्ट-2)** जिसके अभाव में दरों के न्यूनतम होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: बिना निविदाओं के क्रय करने का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए।

12 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु

उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

13 **स्टोर (सामान) 50,000 से अधिक बिना समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए बिना क्रय करना:-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(5) (क) के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले स्टोर (सामान) का मूल्य यदि पचास हजार से अधिक है तो क्षेत्र में विस्तृत परिचालन होने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन के द्वारा निविदा आमंत्रित करके किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा विशेषकर निर्माण कार्य **C/O MULTIPURPOSE INDOOR STADIUM** लाखों रूपये की मदों का क्रय किया गया परन्तु नियमानुसार उसका विज्ञापन समाचार पत्र में नही दिया गया जिसे विशेष रूप से ग्राम पंचायत के उच्चाधिकारियो के ध्यान में लाया जाता है।

14 **तकनीकी स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य C/O MULTIPURPOSE INDOOR STADIUM पर ₹21.36 लाख का व्यय :---**

ग्राम पंचायत भन्जाल अप्पर में C/O MULTIPURPOSE INDOOR STADIUM के निर्माण कार्य के लिए निम्नानुसार VKVNY तथा SDP शीर्ष में अवधि 1-4-2013 से 31-3-2016 तक अनुदान प्राप्त किये गये :--

शीर्ष का नाम	**प्राप्त राशि**
VKVNY	900000
SDP	140000
SDP	140000
SDP	160000
SDP	400000
SDP	400000
योग	**2140000**

सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या PCH –HA (1) 7/2008 दिनांक 26-3-2011 के अनुसार जिन निर्माण कार्यों की लागत ₹10 लाख से ज्यादा

हो तथा जिन्हें ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित करवाया जाना है उनकी तकनीकी स्वीकृती अधिशाषी अभियन्ता से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य सक्षम अधिकारी से बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर निष्पादित करवाया गया तथा निर्माण कार्य के मूल्यांकन की प्रविष्टि किसी भी मापन पुस्तिका में नहीं की गयी। निर्माण कार्य के कार्य रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य पर VKVNY तथा SDP शीर्ष में जो कि एक ही पृष्ठ पर दर्ज है निम्नानुसार ₹**2136314** का व्यय किया गया है। अत: यह मामला ग्राम पंचायत उच्च अधिकारियों के ध्यान में विशेष रूप से इस आशय के साथ लाया जाता है कि उक्त निर्माण कार्य की नियमानुसार सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करके तथा मूल्यांकन करवाने के उपरान्त कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Sr No.	**Name of Grant**	**Year**	**work register page No.**	**Total Expenditure**
1	VKVNY/SDP	2014-15	11	1676314
2	VKVNY/SDP	2015-16	11	160000
3	VKVNY/SDP	2015-16	11	300000
			योग	**2136314**

15 पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी ₹6.25 लाख की मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना;-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट (2)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹**625160** के स्टॉक/स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया, जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का क्रय बिना निविदाएँ लिए किया गया है। अत; बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय करने तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए ।

16 मूल्यांकन (Assessment) के बिना ₹18.88 लाख का भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002- आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता का मूल्यांकन करने के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट (3)** पर दिये गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹1888018 का भुगतान कार्य मूल्यांकन के बिना किया गया। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए मूल्यांकन के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए|

17 मदों को निर्धारित इकाई में क्रय न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या :पी सी

एच -एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-7-2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत ,बजरी ,पथर ,सीमेंट लकड़ी आदि के क्रय के संदर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत ,बजरी निर्धारित क्यूबिक फुट के अनुसार " परन्तु ग्राम पंचायत ने इन मदों का क्रय फेरे के रूप में किया गया न कि निर्धारित ईकाई के अनुसार जिसके उदाहरण **परिशिष्ट (2)** पर दिए गये है जो कि दिशा निर्देशों की अवहेलना होने के अतिरिक्त किसी कार्य में प्रयोग की गयी इन मदों की मात्रा को ज्ञात नहीं किया जा सकता है ।अत: इस बारे में नियमानुसार अवगत करें ।

18 मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना:-

ग्राम पंचायत भन्जाल अप्पर द्वारा लाखोँ रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्ट्रोल पर भुगतान किया गया परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्टरोल को न सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया। अत: उक्त के अभाव में भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए !

19 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	स्थाई एवम अस्थाई भंडार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह

बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

21 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

22 **निष्कर्ष:-** यद्यपि अंकेक्षण दल द्वारा अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के चयनित मासों का ही अंकेक्षण किया गया तथा उनमें भी गम्भीर आपतियां पाई गयी हैं जिनका विवरण पैरों में दिया गया है, लेखों में बहुत सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)(XV)(5)27/2017–खण्ड–1–4875–4878–दिनाँक 08.08.2017 शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत भन्जाल अप्पर, विकास खण्ड गगरेट, तहसील अम्ब जिला ऊना, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881